निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
274वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 274वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री पी0 गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहेः-

1.	श्री पी0 गुरु प्रसाद,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 बलकार सिंह,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	संयोजक
4.	श्री दीपक सिंह,	वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0/प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
5.	श्री डी0वी0 सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय,	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7.	श्री कृष्ण मोहन,	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8.	श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9.	श्री संजय कुमार तिवारी,	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
10.	श्री दीपक सिंह,	प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
274/1	परिषद की 273वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 273वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गया।
274/2	परिषद की 273वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 273वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 की अनुपालन आख्या का आगामी बैठक में सम्पूर्ण मदों पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाये।
274/3	परिषद कार्मिकों/परिषद के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-07-2025 से 58% दर से महंगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/4	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

	अंशदान पेंशन प्रणाली (राष्ट्रीय पेंशन द्वारा) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28-06-2024 निर्धारित कट ऑफ तिथियों का विस्तरण सम्बन्धी शासनादेश को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किया जाने के सम्बन्ध में।		
274/5	श्री पंकज कुमार पाल, अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति किये जाने हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस इस शर्त के साथ अनुमोदित कि इस सम्बन्ध में एक नीति निर्मित कर ली जाये।
274/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता का सेवाकाल विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/7	श्री मनोज कुमार, सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस इस शर्त के साथ अनुमोदित कि इस सम्बन्ध में एक नीति निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।
274/8	परिषद की मा0 निदेशक मण्डल की 272वीं बैठक दिनांक 22-07-2025 के मद संख्या-272/30 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में "वित्त विभाग के शासनादेश एवं मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय का अध्ययन करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने" के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त पेंशन का लाभ पुनरीक्षित वेतन के आधार पर प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पूर्व में दिए अतिरिक्त देयकों की वसूली के सम्बन्ध में शासन के माध्यम से कार्मिक विभाग की राय लेते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाए।
274/9	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री एस0के0 सिंह भदौरिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरूद्ध 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए' में परिवर्तित	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	विभागीय जांच की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दण्ड के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में।		
274/10	श्री डी0के0 शुक्ला, सेवानिवृत्त, प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना लखनऊ के विरूद्ध गठित विभागीय जांच में परिलक्षित वित्तीय क्षति की वसूली हेतु लिए गये निर्णय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/11	अनुशासनिक कार्यवाही में 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत परिवर्तित विभागीय जांचों की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/12	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता के विरूद्ध 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत विभागीय जांच गठित किये जाने हेतु मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव में वित्तीय उपाशय एवं मा0 उच्च न्यायालय में वाद की स्थिति ज्ञात करने के उपरान्त प्रस्ताव को पुनः आगामी बोर्ड बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।
274/13	श्री कन्हई प्रसाद, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना लखनऊ के विरूद्ध गठित विभागीय जांच में परिलक्षित वित्तीय क्षति की वसूली हेतु लिए गये निर्णय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त इस निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित कि आवंटी से वसूली हेतु किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में आगमी बोर्ड बैठक में अवगत कराये।
274/14	श्री के0एन0 शुक्ला, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, सम्प्रति सेवानिवृत्त, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना लखनऊ के विरूद्ध गठित विभागीय जांच को 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351-ए' में परिवर्तित आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं गठित विभागीय जांच में दिये गये दण्ड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

274/15	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना, लखनऊ के विरूद्ध गठित विभागीय जांच में परिलक्षित वित्तीय क्षति की वसूली हेतु लिए गये निर्णय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/16	मा0 परिषद की 273वीं बैठक दिनांक 09-10-2025 के मद सं0-273/9 पर प्रस्तुत श्री राजीव कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच गठित किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में वित्तीय क्षति का आकलन करते हुए पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
274/17	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्ध गठित विभागीय जांचों को 'सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स अनुच्छेद 351-ए' के अन्तर्गत परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि सभी लम्बित डी0पी0सी0 को तीन माह में पूर्ण कर लिया जाये।
274/18	श्री अरूण कुमार पटेल, अवर अभियन्ता की आश्रित पत्नी की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	समन्वय	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/19	श्री प्रीतम सिंह सेवानिवृत्त दफ्तरी के स्वयं की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति रू0 1.00 लाख से अधिक (बिना भर्ती) के दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	समन्वय	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/20	नगर निगम मुरादाबाद कार्यालय भवन हेतु परिषद की मझोला योजना सं0-4 भाग-02 मुरादाबाद के सेक्टर-9ए में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जी0एच0-01 के ले-आउट में संस्थागत उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/21	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं/शासनादेशों के	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	अनुसार परिषद योजनाओं में क्रियान्वन/ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।		
274/22	सब्सिडीयेरी इन्टेलिजेन्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को ओ0सी0आर0 कॉम्पैलेक्स के निर्माण हेतु मझोला यो0सं0 04, भाग 02, मुरादाबाद के सेक्टर-05 में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जी0एच0 05/01, भूखण्ड सं0-जी0एच0 05/02, को ले-आउट मानचित्र में संस्थागत उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध मे।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/23	वृन्दावन योजना सं0-3, लखनऊ के सेक्टर-12 में स्थित अरावली एन्क्लेव बहुमंजिलीय परियोजना बेसमेंट सहित, (S+10) के अंतर्गत निर्माणाधीन 560 नग फ्लैटों में से मा0 निदेशक मण्डल की 242वीं बैठक द्वारा रोके गये 240 नग फ्लैटों के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से इस शर्त के साथ अनुमोदित कि पुराने एवं नये दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर निर्णय हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
274/24	परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-11 में स्थित फुटबाल मैदान के विकास, संचालन एवं रख-रखाव हेतु शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्थाओं से ई-बिड आमंत्रित करते हुए वार्षिक किराया लेते हुए न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि एवं अनुबन्धित अवधि के उपरान्त 05-05 वर्ष की दो समयवृद्धि के साथ लीज पर दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि स्पोर्टस की आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा संचालन अवधि 10 वर्ष रखा जाये जिसे केवल 05 वर्ष तक बढाया जा सकेगा।
274/25	परिषद की विभिन्न योजनाओं में निर्मित व परिषद द्वारा संचालित सामुदायिक केन्द्रो को निजी संस्थाओं को निर्धारित अवधि के लिये वार्षिक किराया लेते हुए लीज पर दिये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगमी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
274/26	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड, प्रतापगढ़ में आपसी समझौते से भूमि क्रय करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

274/27	विकास शुल्क के निर्धारण से सम्बन्धित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-03, उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या-558/आठ-3-21-211 विविध/13टी0सी0, लखनऊ दिनांक 09-02-2021 के द्वारा उ0प्र0 नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन नियमावली-2021) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
274/28	जनपद-गाजीपुर में प्रस्तावित "गाजीपुर-मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना की नियोजन समिति द्वारा की गयी कार्यवाही तथा परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/29	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कानपुर शहर की आवासीय समस्या के निदान हेतु मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-04, कानपुर नगर में लैण्ड पुलिंग स्कीम के अन्तर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/30	परिषद की ऐसी योजनायें जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम-2013 (Right to Fair Compensations & Transparency in Land Acqusition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013) के पूर्व से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन है परन्तु अब तक इन योजनाओं का अभिनिर्णय नहीं घोषित किया जा सकता है, के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि किसी उपयुक्त एजेन्सी के माध्यम से प्रत्येक योजना की फिजिविलिटी एवं वायविलिटी का परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
274/31	भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना तथा पूरक योजना, अयोध्या से सम्बन्धित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

274/32	जनपद-मऊ में प्रस्तावित गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मऊ की नियोजन समिति द्वारा की गयी कार्यवाही तथा परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/33	परिषद की वसुन्धरा योजना संख्या-03 के विस्थापित किसानों द्वारा को 35.00 वर्गमी0 के व्यवसायिक भूखण्डों के सृजन एवं वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटन किये जाने हेतु भूमि दर के निर्धारण तथा आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों में 02 भूखण्डों व 04 भूखण्डों का ग्रुप बनाकर आवंटन के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान करते हुए निर्णय हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
274/34	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में 13 नग सहकारी आवास समितियों की समायोजित भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जाँचोपरान्त मा0 निदेशक मण्डल की 271वीं बैठक दिनांक 19-04-2025 के मद संख्या-271/7 पर लिये गये निर्णयानुसार प्राप्त जाँच आख्या के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव, प्राप्त जाँच आख्या के आलोक में परीक्षण कर स्पष्ट प्रशताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
274/35	परिषद की हाथरस भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 हाथरस में समाविष्ट ग्राम माहियापुर के खसरा संख्या-400 एवं 410 को हाँरावाले ट्रस्ट एवं परिषद के मध्य पंजीकृत अनुबंध किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि ट्रस्ट चिकित्सालय के समयबद्ध निर्माण एवं निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त कर एवं पंजीकृत अनुबन्ध में अनिवार्य शर्त के रूप में उल्लिखित करते हुए हरावाला ट्रस्ट एवं परिषद के मध्य अनुबन्ध पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

274/36	परिषद की योजनाओं आदि हेतु आसुधार शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि असुधार शुल्क अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न प्राधिकरणों तथा अन्य राज्यों में लागू नीति एवं नियमों आदि के अध्ययन हेतु समिति गठित कर सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
274/37	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-2, भाग-2 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-उतरठिया के खसरा संख्या-170 व 208 में नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त भूमि/निर्माणो के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/38	परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या-1652 में नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त 0.025 हे0 भूमि को अन्यत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत कि असुधार शुल्क के साथ विकास व्यय की वसूली की जाये। प्रस्तुत विकल्पों में से किसी एक का चयन किये जाने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
274/39	परिषद की प्रस्तावित नवीन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-11 सहारनपुर	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगमी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
274/40	माननीय मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, संख्या-कर्वी-2, चित्रकूट हेतु सीड कैपिटल के रूप में अनुदान राशि प्राप्त करने सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/41	माननीय मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मऊ हेतु सीड कैपिटल के रूप में अनुदान राशि प्राप्त करने सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/42	माननीय मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत गाजीपुर-मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर हेतु सीड कैपिटल के रूप में	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	अनुदान राशि प्राप्त करने सम्बन्ध में।		
274/43	माननीय मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड, प्रतापगढ़ हेतु सीड कैपिटल के रूप में अनुदान राशि प्राप्त करने सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/44	माननीय मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत भूमि विकास गृहस्थान एवं योजना संख्या-2, बांदा हेतु सीड कैपिटल के रूप में अनुदान राशि प्राप्त करने सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/45	परिषद की नवीन योजनाओं के संचालन हेतु आपसी सहमती के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
274/46	परिषद की मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद की सीमा से 500 मीटर की परिधि चित्रा रियलकॉन प्रा0लि0 द्वारा निजी औद्योगिक पार्क (PLEDGE) योजना नीति-2022 के अन्तर्गत पार्क विकसित किये जाने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के अनुरोध क्रम में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्देशित किया गया कि प्लेज पार्क आवेदक से नीति के अनुसार पहुंच मार्ग के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये। तदोपरान्त परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
274/47	परिषद की समस्त योजनाओं में समायोजित भूमि/भूखण्डों के नामान्तरण के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त पुनः परीक्षण हेतु समिति गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
274/48	परिषद में नियोजित पार्किंग भूखण्डों के निस्तारण हेतु नियम/शर्तें निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि परिषद के पार्किंग भूखण्ड हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु Expression of Interest (EoI) जारी किया जाये।
274/49	विगत ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली/आगामी ई-नीलामी हेतु नियत आरक्षित दर को अत्यधिक होने के कारण	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रस्ताव अनुसार

	पूर्व ई-नीलामी की आरक्षित दर के अनुरूप आरक्षित दर को पुनः निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।		आरक्षित दर परिवर्तित करने की अनुमति आवास आयुक्त से प्राप्त करने के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
274/50	आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में शैक्षिणक भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3600/आठ-1-11-10 विविध/04 दिनांक 21-12-2011 द्वारा निर्धारित नीति के पुनरावलोकन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार एवं पिछले अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में स्कूल भूखण्डों की नीलामी सम्पन्न कराने के पश्चात आवश्यकता एवं औचित्य के साथ प्रस्तुत करें।
274/51	परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में I.T. City के आरक्षित दरों के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव को निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि - (1) 10 एकड़ तक क्षेत्रफल के आई0टी0 भूखण्डों की आरक्षित दर को आवासीय दर के समतुल्य (1.0 गुना) ही रखा जाए। (2) चूंकि 10 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्डों में परिषद द्वारा कराये जाने वाले आंतरिक विकास कार्य कम होने के कारण विकास व्यय कम होगा एवं विक्रय योग्य भूमि अधिक प्राप्त होगी। बड़ी आई0टी0 कम्पनियों के आने पर आस-पास के क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। अतः उक्त के दृष्टिगत 10 एकड से अधिक क्षेत्रफल के आई0टी0 भूखण्डों की आरक्षित दर आवासीय दर की 0.9 गुना रखी जाए।
274/52	परिषद की भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या में स्थित भूखण्ड संख्या-8A/MISB-09 एवं 8A/MISB-10 के विरूद्ध अधिरोपित ब्याज एवं अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रकरण में परिषद नियमानुसार ही कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

274/53	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-95 की उपधारा-1 के बिंदु संख्या-ड़/ढ के अंतर्गत परिषद की समस्त योजनाओं में स्थित स्कूल भूखण्डो को 02 चरणों में सम्पंन होने वाली नीलामी के माध्यम से आवंटन के स्थान पर सामान्य ई-नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में नवीन नीति हेतु मा0 निदेशक मण्डल के 273वीं बैठक दिनांक 9-10-2025 में मद संख्या 273/20 अनुमोदित प्रस्ताव में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि आवंटित संस्थाओं द्वारा उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि 01 माह के अन्दर भुगतान करने पर एवं मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात 03 माह में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त शर्तो का पालन किया जाता है, मात्र उनके प्रकरण मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यह प्राविधान आवेदक संस्था को अंतिम अवसर के रुप में दिया जाएगा तथा अनुपालन न करने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
274/54	मा0 निदेशक मण्डल की 273वीं बैठक की मद संख्या-273/22 पर अनुमोदित प्रस्ताव में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निम्न संशोधनों / निर्देशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। • बिन्दु संख्या-1 अनुमोदित। • बिन्दु संख्या-II के सम्बन्ध में आदर्श कास्टिंग गाइड लाइन्स 2025 के आलोक में कार्यवाही की जाए। • बिन्दु संख्या-III इस शर्त के साथ अनुमोदित कि यह परिषद की अधूरी परियोजनाओं में स्थगित निर्माणाधीन फलैट्स पर ही लागू होगा। • बिन्दु सं0- IV में 'सशस्त्र सेनाओं / अर्धसैनिक बलों (सेवारत, सेवानिवृत्त) को यह छूट अनुमन्य होगी। • बिन्दु संख्या-V को अनुमोदित करते हुए आदर्श कास्टिंग गाइड लाइन्स 2025 के बिन्दु 9.8 के माडल 2 एवं 3 के लिए आवास

			आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
274/55	परिषद की विभिन्न योजनाओं में नियोजित बल्क सेल भूखण्डो का निस्तारण हेतु प्रचलित नीति में आंशिक संशोधन करने हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी निम्नवत है।	सम्पत्ति	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त नवीन आदर्श कास्टिंग गाइड लाइन-2025 के आधार पर पुनः परीक्षण करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
274/56	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/57	शिखर इंक्लेव गाजियाबाद के प्रकरण में अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत गठित विभागीय जांचों में अपचारी अधीक्षण अभियन्ता एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्ध दण्ड के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय का अनुमोदन मा0 परिषद से प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
274/58	जनपद ललितपुर में आवासीय योजना संचालन के लिए सैन्य भूमि (कुल-24 पॉकेट्स में विभाजित) क्षेत्रफल-209.07 एकड़ क्रय किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि परिषद द्वारा केवल वही भूमि क्रय की जायेगी जो सभी प्रकार के विवादों एवं भारों से मुक्त हो तथा भूमि का कब्जा सैन्य प्रतिष्ठान के पास हो।
274/59	श्री बी0एस0 गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच में प्रस्तावित दण्ड की स्वीकृति मा0 परिषद से प्राप्त करने के सम्बन्ध में	अनुशासनिक	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
274/60	परिषद की योजना संख्या-7 मेरठ योजना में अनुमन्य से भिन्न भू-उपयोग व बिना स्वीकृति किये गये निर्माणों के सम्बन्ध में।	वास्तु कला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राप्त होने वाले आवेदनों पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

			आपत्ति, सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
274/61	परिषद की योजनाओं में अनिस्तारित सामुदायिक केन्द्र में अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत उपविधि 2025 के प्रस्तर 3.1.4. के अनुसार अन्य गतिविधि/क्रियाएं अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। निर्धारित नीति के अनुसार सामुदायिक केन्द्रों के उपयोग/क्रियाएं अनुमन्य करने हेतु प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-2438 दिनांक 13-10-1998 के अनुसार आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। आपत्ति सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु परिषद बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
274/62	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

अनुमोदित

(पी० गुरु प्रसाद)
अध्यक्ष